www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 21.02.2017

सीबीआई ने घूसखोरी के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के तीन कर्मियों को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने शिकायतकर्ता से तीन लाख रू. की घूस की मॉंग व स्वीकार करने के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा विभाग (भारत सरकार), मुरथल, जिला सोनीपत (हरियाणा) में कार्यरत दो अधीक्षकों एवं एक निरीक्षक को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया जिसमें आरोप है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उक्त कर्मियों ने दिनांक 13.02.2017 को लेखा परीक्षण करने हेतु शिकायतकर्ता की कम्पनी के परिसर में पहुँचे। लेखा परीक्षण के दौरान, उन्होने कथित रूप से दोहरे बिलिंग, उत्पाद शुल्क की छूट आदि के जैसी कई आपत्तियॉं जताई तथा उन्होने शिकायतकर्ता को सूचित किया कि कम्पनी पर 25-30 लाख रू. का दण्ड लगाया जायेगा। ऐसा आगे आरोप है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की कम्पनी पर लगाये जाने वाले शुल्क एवं दण्ड को कम करने हेतु 10 लाख रू. की घूस देने को कहा। शिकायतकर्ता के निवेदन पर, आरोपी कथित घूस राशि को घटा कर नौ लाख रू. स्वीकार करने को राजी हुए। सीबीआई ने जाल विछाया एवं दो अधीक्षकों एवं एक निरीक्षक को शिकायतकर्ता से तीन लाख रू. की घूस की मॉंग व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। गुड़गॉंव एवं दिल्ली सहित आरोपी के कार्यालय एवं आवासीय परिसरों से तलाशी ली गई। 9.2 लाख रू. (लगभग) का नकद ;एक किग्रा.लगभग वजन का सोना एवं सम्पत्ति से सम्बन्धित दस्तावेज एक अधीक्षक के परिसर से एवं सावधि जमा रशीदे ; कुछ बैंक खातों के विवरण ; लॉकर अन्य आरोपी के परिसर से बरामद हुए।

गिरफ्तार आरोपियों को पंचकूला (हरियाणा) की नामित अदालत में आज पेश किया जा रहा है।

****